पूरण बनाम कानी वगै०

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० नं० - 21/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील उप०। अप्रार्थी न० 4 व 6 की नोटिस तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटे है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष अप्रार्थी नं० 5 की नजरान्दाज तामील पत्रावली दिनांक 14-3-18 को पेश हो।	
18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उपस्थित/ पीठा ../अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-4-18 को पेश हो।	
4-18 इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-5-18 को पेश हो।	
-5-18 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष--2018 संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के पत्रांक प.12 (15) राज-1/2018 दिनांक ... की अनुपालना एवं श्रीमान जिला कलक्टर महो. ... के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में पत्रावली पूर्व नियत तिथि 14-8-18 से तलब होकर आज पेश हुई। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जानी है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र नाथूसर में दिनांक 20-06-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो।	
20.06.2018 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– नाथूसर के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष 2016 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 की ओर से दिनांक 13.11.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो	

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपु

......पूरण...................... बनाम ......काना वगैरह......

किस्म मुकदमा ......T. I.,.................मु० नं. ....21/2016......सन् .

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	चूका है तथा अप्रार्थी न0 4 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। अप्रार्थी न. 5 की ओर से आज मौके पर उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने औपचारिक पक्षकार होने से जवाब का मोहताज नहीं होने बाबत अवगत कराया। प्रकरण में गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रकरण का मूल प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के निस्तारण तक निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2016 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 1645 रकबा 1.15 हैक्टर, 3677 रकबा 0.10 हैक्टर, 3679 रकबा 2.54 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को मूल प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प–नाथूसर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (ब्रहम लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–नाथूसर

Scanned by CamScanner